संख्या-150/2025/24(3)पी/24-27-सिं०-4-5-डब्ल्यू-परि०2025

प्रेषक,

रमा कान्त वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ० प्र० लखनऊ ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2025

विषय- जनपद हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर के बायें किनारे कि0मी0 15.650 (पथरी सुपर पैसेज के डाउनस्ट्रीम) से कि0मी0 20.100 के मध्य एवं ऊपरी गंगा नहर के दायें किनारे कि0मी0 20.300 से कि0मी0 22.840 के मध्य डौला/क्रैश बैरियर निर्माण की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-36/2025/24पी/24-27-सिं०-4/001-5-डब्ल्यू-परि०2025 दिनांक 11 फरवरी, 2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में धनराशि रू० 200.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में त्रुटिवश लेखाशीर्षक- 4700-04-051-10-14-24 के स्थान पर लेखाशीर्षक- 4700-09-051-10-14-24 अंकित हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश के उल्लिखित प्रस्तर-1 में अंकित लेखाशीर्षक- 4700-09-051-10-14-24 के स्थान पर लेखाशीर्षक- 4700-04-051-10-14-24 पढ़ा जाय। शासनादेश संख्या-36/2025/24पी/24-27-सिं०-4/001-5-डब्ल्यू-परि०2025 दिनांक 11 फरवरी, 2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,
रमा कान्त वर्मा
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम /द्वितीय), उ०प्र० प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज ।
3. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।
4. प्रमुख अभियन्ता (बजट), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।
6. मुख्य अभियन्ता (गंगा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० मेरठ ।
7. मुख्य / वरिष्ठ, कोषाधिकारी, बिजनौर ।
8. अनु सचिव (लेखा), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० लखनऊ ।
9. वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-8 / नियोजन अनुभाग-3
10. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
चन्द्र भूषण
अनु सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in